

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 161 / संचा.-वि.स. / 2026

नवा रायपुर, दिनांक 17 / 02 / 2026

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
अटल नगर, नवा रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
अपेक्स बैंक,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
3. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1418 तारांकित द्वारा श्री संदीप साहू, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

-000-

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1418 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिफांटेड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिफांटेड फॉन्ट' में) दिनांक 19.02.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

नवा रायपुर, दिनांक 17 / 02 / 2026

पृ.क्रमांक 162 / संचा.-वि.स. / 2026

प्रतिलिपि :-

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 27/02/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/03/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : प्रदेश के अंतर्गत संचालित धान खरीदी केंद्रों एवं संग्रहण केंद्रों में धान की कमी

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1418) श्रीसंदीप साहू

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या प्रदेश के अंतर्गत संचालित धान खरीदी केंद्रों एवं संग्रहण केंद्रों में धान की भारी कमी पाई गई है? यदि हाँ, तो जिलावार कमी की मात्रा (क्विंटल में) एवं मूल्य (रुपये में) का विवरण बताएं? (ख) क्या अनेक संग्रहण केंद्रों में धान की कमी का कारण क्या है कितने केंद्रों में, कितनी मात्रा में धान के नष्ट होने की पुष्टि की गई है? जिला-वार कमी की मात्रा (क्विंटल में) एवं मूल्य (रुपये में) का विवरण बताएं? (ग) क्या शासन द्वारा इस संबंध में कोई भौतिक सत्यापन, निरीक्षण अथवा जांच दल गठित किया गया है? यदि हाँ, तो जांच की वर्तमान स्थिति, निष्कर्ष एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब-तक क्या कार्यवाही हुई है? (घ) क्या भंडारण केंद्रों में भंडारण व्यवस्था का समुचित प्रबंध नहीं होने के परिणामस्वरूप हुई धान क्षति के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

Sent From : vidhan | Sent Date : 17/02/2026 02:08:50 |

Remark :

कृ. प्र. 17/2
सा. 1418
CCB